भूदान-यज्ञ

भूदान-यज्ञ मूलक ग्रामोद्योग प्रधान अहिंसक क्रान्ति का सन्देशवाहक – साप्ताहिक

सर्व सेवा संघ का मुख्य पत्र

वर्ष : १५ अंक : ४३

सोमवार २८ जुलाई, '६९

अन्य पृष्ठों पर

तेलंगाना —सम्पादकीय ५३०

लोकतंत्र में दलमुक्त प्रतिनिधित्व :

कुछ विचारणीय पहलू—अवध प्रसाद ५३१

अन्य स्तम्भ

सामयिक चर्चा : बैंकों का राष्ट्रीयकरण ५३३

आन्दोलन के समाचार

परिशिष्ट

"गाँव की बात"

आवश्यक सूचना

तीन वर्षों से 'भूदान-यज्ञ' के परिशिष्ट के रूप में हर महीने 'गाँव की बात' के दो अंक हम देते रहे हैं। हमें खुशी है कि 'गाँव की बात' का प्रायः सब जगह समर्थन मिला और उसका स्वागत हुआ। अब इसी अंक के बाद से 'गाँव की बात' का 'भूदान-यज्ञ' के परिशिष्ट के रूप में निकलना स्थगित हो रहा है। 'गाँव की बात' पढ़ने के लिए आवश्यक होगा कि के पाठक 'गाँव की आवाज' के नाम से अलग चार रुपये चन्दा भेजें। 'गाँव की आवाज' का पहला अंक १६ अगस्त को प्रकाशित होगा।

—सम्पादक

सम्पादक
राममूर्ति

सर्व सेवा संघ प्रकाशन

राजघाट, वाराणसी–१, उत्तर प्रदेश

फोन : ४२८५

सरकारी कार्रवाई

मेरे ख्याल से भारत वर्षों तक ऐसे कानून पास करने में लगा रहेगा, जिनसे पद-दलित और पतित लोगों का उस दलदल से उद्धार हो सके, जिसमें पूँजीपतियों ने, जमींदारों ने तथाकथित उच्च वर्गों ने और बाद में वैज्ञानिक ढंग से अंग्रेज शासकों ने उन्हें फँसा दिया है। अगर हमें इन लोगों का इस दलदल से उद्धार करना है, तो अपने घर को व्यवस्थित करने के लिए भारत की राष्ट्रीय सरकार का यह अनिवार्य कर्तव्य होगा कि इन लोगों को लगातार तरजीह दे और वे जिस भार से कुचले जा रहे हैं उससे उन्हें मुक्त करे।

...भले वे कितने ही भले और मेरे प्रति मित्रभाव रखनेवाले क्यों न हों, कानून किसी भी व्यक्ति का लिहाज नहीं रखेगा। ....मेरे ध्यान में कुछ ऐसे एकाधिकार हैं, जो प्राप्त तो बेशक उचित रूप में ही किये गये हैं, मगर वे राष्ट्र के उत्तम हितों के विरुद्ध हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूँगा, जिससे आपका कुछ मनोरंजन तो होगा, मगर उसका आधार स्वाभाविक है। आप इस सफेद हाथी (देश पर भारी बोझ डालनेवाली चीज) को ही लीजिए, जिसे नयी दिल्ली कहा जाता है। इस पर करोड़ों रुपये खर्च किये गये हैं। मान लीजिए कि भावी सरकार इस नतीजे पर पहुँचती है कि जब यह सफेद हाथी हमारे पास है ही, तो इसका कोई उपयोग ही कर लिया जाय। कल्पना कीजिए कि पुरानी दिल्ली में प्लेग या हैजा फैला हुआ है और हमें गरीब लोगों के लिए अस्पताल चाहिए। तब हम क्या करेंगे? क्या आप समझते हैं कि राष्ट्रीय सरकार अस्पताल वगैरा बना सकेगी? ऐसा नहीं हो सकेगा। हम इन इमारतों पर अधिकार कर लेंगे और इन प्लेग पीड़ित लोगों को वहाँ रखकर अस्पतालों की तरह उनका उपयोग करेंगे; क्योंकि मेरा दावा है कि ये इमारतें राष्ट्र के उत्तम हितों के विरुद्ध हैं। वे करोड़ों भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं करतीं, वे उन धनवानों का प्रतिनिधित्व कर सकती हैं। वे उन लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकतीं, जिन्हें सोने के लिए कोई जगह और खाने के लिए रोटी का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। अगर राष्ट्रीय सरकार इस परिणाम पर पहुँचे कि वह स्थान अनावश्यक है, तो वह छीन लिया जायगा—भले वह किन्हीं लोगों के हाथ में हो। और मैं आपको बता दूँ कि बगैर किसी मुआवजे के छीन लिया जायगा। क्योंकि अगर आप इस सरकार से क्षतिपूर्ति करवाना चाहेंगे, तो उसे अहमद को लूटकर महमूद को देना होगा, जो उसके लिए असंभव होगा।

अगर कांग्रेस की कल्पना की सरकार अस्तित्व में आती है, तो यह कड़वा घूँट पीना ही पड़ेगा।

(मो. क. गांधी

लंदन में गोलमेज परिषद् के सामने दिये गये एक भाषण से—"दि नेशन्स वायस," सन् १९३२, पृष्ठ : ७१।

www.vinoba.in

तेलंगाना

पृथक् तेलंगाना की मांग जनता की है, या असामाजिक तत्त्वों की, अथवा व्यापारियों—अधिकारियों—वकीलों-जैसे निहित स्वार्थों की, इसमें मतभेद हो सकता है, लेकिन सच्चाई क्या है इसे जानने का उपाय क्या है ? हम कैसे जानें कि जनता कौन है और वह क्या चाहती है ? सिनेमावाला कहता है जनता अश्लील चित्र चाहती है। व्यापारी कहता है जनता शुद्ध घी की जगह वनस्पति चाहती है। सरकार कहती है जनता शराब चाहती है। सच बात तो यह है कि जनता वही चाहती है जो जनता के नाम में बोलनेवाला चाहता है। जो जनता है वह जानती नहीं। जनता के नाम में बोलने का दावा करनेवाला गुण्डा भी हो सकता है जिसके बहकावे में आकर जनता रेल तोड़ती है, बस जलाती है, और उसी जनता के नाम में बोलने का दावा नेता भी कर सकता है जिसके वादों और ललकारों के भुलावे में आकर जनता अखाड़े में उतरती है, नारे लगाती है, वोट देती है। हम जनता की भाषा किसे मानें—वोट को या उपद्रव को ? हमारी राजनीति ने दोनों भाषाओं को बराबरी का दर्जा दे रखा है। जनता जानती है, देखती है, कि राजनीति स्वयं दोनों भाषाएँ बोलती है; जब जिससे काम बन जाय ! राजनीति लोक-शिक्षण द्वारा लोकमत जगाना नहीं जानती; वह लोकहठ उभाड़कर काम निकालना चाहती है। कुछ भी हो, पृथक् तेलंगाना का लोकहठ अब काफी फैल चुका है, और उसे जनता, उपद्रवकारी और नेता की सम्मिलित शक्ति प्राप्त हो चुकी है।

लोकहठ कहें या लोकमत, जब दिल्ली-सरकार यह मान चुकी कि आन्ध्र-सरकार तेलंगाना के साथ हुए समझौते की शर्तें पूरी नहीं कर सकी और तेलंगाना को न्याय नहीं मिला तो पृथक् तेलंगाना के लिए काफी मसाला मिल चुका। आन्ध्र धनी है, तेलंगाना गरीब। आन्ध्र की राजनीति मजबूत है, तेलंगाना की अभी उभर रही है। ऐसी हालत में तेलंगाना के मन में शंका होना स्वाभाविक है कि आन्ध्र के साथ उसका गुजर नहीं है। अगर तेलंगाना आन्ध्र के साथ नहीं रहना चाहता तो बेजा दबाव डालकर उसे साथ रहने के लिए मजबूर क्यों किया जाय ? दबाव से प्रेम और विश्वास नहीं पैदा किया जा सकता।

तेलंगाना के विरुद्ध यह तर्क देना कि अगर उसका एक अलग राज्य बन जायगा तो देश के कई दूसरे भागों में अलग राज्य की मांगें होने लगेंगी, निरर्थक है। यह कहना भी निरर्थक है कि अगर अधिक राज्य बन जायेंगे तो राष्ट्र कमजोर हो जायगा। राष्ट्र कुछ और राज्यों के बन जाने से कमजोर नहीं होगा; अगर कमजोर होगा तो निकम्मे और बोझिल केन्द्र तथा राज्यों के निरंकुश प्रशासन के कारण। दिल्ली-सरकार के पास काम कम हो और अधिकार अधिक तो वह मजबूत होगी और देश की एकता कायम रखने में अधिक समर्थ हो सकेगी। इसके विपरीत राज्य-सरकारों की जिम्मेदारियाँ अधिक हों और वे, छोटा राज्य होने के कारण, जनता के अधिक-से-अधिक निकट हों, तो उनके ऊपर लोकमत का अंकुश ज्यादा होगा। लोकमत जितना सशक्त होगा, राजनीति और नौकरशाही के हथकंडे उतने ही कमजोर पड़ेंगे। छोटे राज्य एकता, केन्द्र, लोकहित, सबकी दृष्टि से अच्छे हैं।

'पृथक् तेलंगाना' में एक अच्छाई यह है कि उससे भाषावाद की समाप्ति शुरू होती है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि इस तरह क्षेत्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन अगर भाषा, जाति, धर्म, सम्प्रदाय आदि के स्थान पर 'क्षेत्र' राजनीतिक-आर्थिक संगठन का स्थान ले सके तो राष्ट्र की दृष्टि से अच्छा होगा। भारत भाषायी इकाइयों के बजाय क्षेत्रीय इकाइयों का संघ बने तो आपस के सहयोग की गुंजाइश अधिक होगी, और छोटे राज्यों के होने के कारण केन्द्र एकता और समन्वय की शक्ति के रूप में अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकेगा।

अधिक राज्यों की मांग में भय का कोई कारण नहीं है। लेकिन जरूरत इस बात की है कि नया राज्य बनाने या पुराने राज्य को तोड़ने का निर्णय सरकार अपने हाथ में न रखे। उसे चाहिए कि ऐसे तमाम विवादों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की तरह निष्पक्ष व्यक्तियों की कोई समिति या कौंसिल बना दे, और उसे ही निर्णय के अंतिम अधिकार दे दे। ऐसा हो जाने पर अलग राज्य का प्रश्न, या ऐसा दूसरा कोई भी प्रश्न, आन्दोलन और उपद्रव के दायरे से निकलकर न्याय के दायरे में चला जायगा। ऐसा होना उचित है, और आवश्यक भी।

तेलंगाना लक्षण है, रोग नहीं। जबतक राजनीति उन्मादों पर चलेगी, जबतक एक क्षेत्र का विकास और दूसरे का ह्रास होगा, जबतक समाज में आर्थिक विषमता इतनी भयंकर रहेगी और दिनोंदिन बढ़ती जायगी, और जबतक सरकार का दर्जा 'माई-बाप' का रहेगा, तबतक एक के बाद दूसरे तेलंगाना की मांग होती ही रहेगी। तेलंगाना देखने में एक राजनीतिक प्रश्न है, किन्तु उसकी जड़ में विकास की भूख है। जनता ऊपर उठना चाहती है; वह उठने का अवसर चाहती है। उस अवसर का नाम है 'तेलंगाना'। हम उस अवसर से किसी क्षेत्र को वंचित कैसे रख सकते हैं ?

अवसर की भूख 'तेलंगाना' बन जाने मात्र से तृप्त नहीं होगी वह गाँव तक पहुँचेगी। आखिर, हमारे देश में जीवन की बुनियादी इकाई गाँव ही है। अगर तेलंगानावाले तेलंगाना में अपना निर्णय चलाना चाहते हैं तो गाँव में गाँववालों का प्रत्यक्ष निर्णय क्यों न चले ? अगर तेलंगाना का अपना राज्य हो तो गाँव में अपना 'स्वराज्य' हो। अगर स्वराज्य न हो तो, राज्य बनने से निरंकुश प्रशासन में एक कड़ी और जुड़ेगी। दूसरा क्या होगा ? जिस दिन गाँव को यह मान्यता मिल जायगी उस दिन क्षेत्रवाद का भूत भी समाप्त हो जायगा। सचमुच वही दिन जनता की सच्ची एकता का होगा।

यदि हमारे नेता दल के पक्षपात और सत्ता के आग्रह को छोड़कर देश को सामने रखें और कल्पना से काम लें तो उन्हें तेलंगाना के साथ-साथ पूरे राजनीतिक और आर्थिक विकेन्द्रीकरण की बात सोचनी चाहिए। देश का भविष्य निश्चित रूप से उसी दिशा में है। परिस्थिति का संकेत हम कब समझेंगे ?●

लोकतंत्र में दलमुक्त प्रतिनिधित्व : कुछ विचारणीय पहलू

www.vinoba.in

अवध प्रसाद

लोकतंत्र में राजनैतिक दलों से मुक्त शासन चल सकता है, यह एक बिलकुल नयी चीज है। पिछले कुछ दिनों से दलमुक्त लोकतंत्र की चर्चा देश के कुछ प्रमुख विचारकों, खासकर श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा की जा रही है। इस ओर कुछ ठोस प्रयास भी प्रारम्भ किये गये हैं। परन्तु दलमुक्त लोकतंत्र आज भी सामान्य जन की कल्पना के बाहर की चीज है। आखिर दलमुक्त लोकतंत्र का वैचारिक आधार क्या होगा? व्यावहारिक स्वरूप क्या होगा? इसकी शासन-पद्धति क्या होगी? इस तरह के कई प्रश्न इस सम्बन्ध में उठते हैं, क्योंकि आज तो सम्पूर्ण राजनीति-शास्त्र, जिसका सम्बन्ध लोकतंत्र से है, राजनीतिक दल को अनिवार्य आवश्यकता मानता है।

राजनीतिक दल की परिभाषा

लोकतंत्र में राजनीतिक दल की परिभाषा कहते हुए बर्क ने कहा है कि "राजनीतिक दल ऐसे व्यक्तियों का समूह है, जो किसी राष्ट्रीय हित की पूर्ति के लिए किसी एक विशिष्ट सिद्धान्त को आधार मानकर अपना संगठन करते हैं। यह एक ऐसी संस्था है, जो किसी सिद्धान्त या नीति के समर्थन में बनायी जाती है और जो संवैधानिक साधनों द्वारा उन सिद्धान्तों या नीतियों के अनुसार शासनतंत्र का निर्माण करने की चेष्टाएँ करती हैं।" स्पष्ट है कि ये दल निरन्तर अपने क्रिया-कलापों से शासनतंत्र का नियंत्रण अपने हाथ में लेने की चेष्टा करते हैं, ताकि वे जिन सिद्धान्तों या नीतियों में विश्वास करते हैं, उन्हें शासनतंत्र के साधन द्वारा सिद्ध कर सकें। यहाँ दल के लिए मुख्य कार्य सत्ता-प्राप्ति हो जाता है। इसके लिए वे सतत जनता को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं, ताकि चुनाव के द्वारा व्यवस्थापिका सभा में उनको बहुमत प्राप्त हो।

आज के युग में लोकतंत्र सबसे अधिक प्रचलित तथा अच्छी शासन-पद्धति मानी जाती है। लेकिन यह लोकतंत्र आज राजनीतिक दलों के चौखटे में घिरा है। इससे मुक्त होकर भी लोकतंत्र कायम रह सकता है, यह विचार राजनीति-शास्त्र से परे समझा जाता है। लोकतंत्र का राजनीतिक दलों से अलग हो जाने पर क्या स्वरूप हो जाता है, यह श्री पी० ओ० राय के शब्दों में इस प्रकार है: "जहाँ कोई राजनीतिक दल न हो वहाँ दो ही अर्थ निकल सकते हैं, या तो यह दिखेगा कि सभी सार्वजनिक मामलों में जनता निरपेक्ष भाव से उदासीन रहती है, और वह उदासीनता अज्ञानता एवं अक्षमताजनित होती है, या फिर वहाँ ऐसा निरंकुश शासनतंत्र होता है, जो जनता की महत्वाकांक्षाओं और सामान्य नागरिकों की भावनाओं को अपने दमन द्वारा प्रकट भी नहीं होने देता।" अबतक दलमुक्त लोकतंत्र के प्रयोग नहीं किये गये हैं और न ही इस विचार का सैद्धांतिक स्वरूप भी निखारने का प्रयास किया जा सका है। शायद श्री जयप्रकाश नारायण तथा विनोबा इसके प्रथम विश्लेषणकर्ता हैं।

नयी चुनाव-पद्धति

इस दलमुक्त लोकतंत्र के चुनाव-पद्धति वाले पक्ष पर हम विचार करें। इस विचार को माननेवालों का कहना है, मतदाताओं को दल से ऊपर उठकर प्रतिनिधि का चुनाव करना चाहिए। व्यवस्थापिका सभा में दल के प्रतिनिधि के स्थान पर क्षेत्र के अपने प्रतिनिधि यानी मात्र जनता के प्रतिनिधि को चुनकर भेजना चाहिए। उन्हें दल के घेरे में नहीं पड़ना चाहिए। प्रश्न उठता है कि इसके लिए चुनाव की प्रक्रिया क्या होगी?

चुनाव की प्रक्रिया पर हाल ही में आयोजित कुछ गोष्ठियों से अच्छा प्रकाश पड़ा है। इनमें विचार-विमर्श के बाद सुझाया गया है कि ग्रामदानी ग्रामसभा देश की राजनीतिक इकाई होगी। दलमुक्त लोकतंत्र में चुनाव-प्रक्रिया मोटे रूप में इस प्रकार बतायी गयी है:

उम्मीदवारों का चयन एक क्षेत्र की ग्रामदानी-ग्रामसभाओं के चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा किया जायेगा। इन प्रतिनिधियों का चुनाव-क्षेत्रीय स्तर का एक मतदाता-मंडल बनेगा। यह मतदाता-मण्डल सर्वसम्मति या सर्वानुमति से उम्मीदवार का चयन करेगा। इसके लिए: (क) जिस निर्वाचन-क्षेत्र में कम-से-कम तीन-चौथाई ग्रामदानी-ग्रामसभाएँ बन जायेंगी, उनमें यह मतदाता-मण्डल बनाया जायगा। (ख) मण्डल स्थायी होगा। (ग) हर ग्रामसभा मण्डल के लिए अपने प्रतिनिधि सर्वसम्मति से चुनेगी। (घ) एक ग्रामसभा से जनसंख्या के आधार पर कम-से-कम एक, और ज्यादा-से ज्यादा पाँच प्रतिनिधि होंगे। (च) मतदाता-मण्डल में अधिक-से अधिक दो सौ पचास सदस्य होंगे।

"अगर कोई मतदाता-मण्डल चाहे तो वह अपनी ग्रामसभाओं के पास एक पैनल भेज सकता है, और 'सिंगल ट्रान्सफरेबुल वोट' (एकल परिवर्तनीय मत) से सर्वमान्य उम्मीदवार का चयन कर सकता है। ऐसे सर्वमान्य उम्मीदवार के पीछे ग्रामसभाओं की व्यापक शक्ति होगी। वे किसी दल या जाति या अन्य किसी संकुचित स्वार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे। वे प्रतिनिधित्व करेंगे गाँव-गाँव के सामूहिक ग्राम-हित का, और सामूहिक निर्णय का। लेकिन मतदाता के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा कि वह इसी उम्मीदवार को वोट दे, किसी दूसरे को न दे। साथ ही क्षेत्र के ही नागरिक का चुनाव में उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने का संवैधानिक अधिकार भी बना रहेगा। चुनाव प्रचलित पद्धति के अनुसार होंगे।"* यहाँ स्पष्ट है कि ग्रामदानी-ग्रामसभा अपने उम्मीदवार को खड़ा करे, उसकी प्रक्रिया ऊपर बतायी गयी है। उसके अतिरिक्त यहाँ वर्तमान संवैधानिक चुनाव-पद्धति को स्वीकार किया गया है। साथ ही-साथ अन्य राजनीतिक दलों के तथा निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा करने का पूरा प्रावधान रखा गया है। हाँ, इसमें सभी ग्रामदानी ग्रामसभा मिलकर अलग उम्मीदवार खड़ा करें, इसका पूरा

* "ग्रामस्वराज्य": परिचर्चा और व्यापक विचार-विमर्श के लिए प्रकाशित पुस्तिका से।

प्रयास किया जायगा। यह उम्मीदवार ग्रामदान के विचार का समर्थक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। यहाँ अपेक्षा यह रखी जाती है, कि पूरा क्षेत्र ग्रामदान में शामिल होगा और सभी मिलकर एक ही उम्मीदवार खड़ा करेंगे। पर जबतक पूरा क्षेत्र शामिल नहीं होता तबतक अन्य उम्मीदवारों से संघर्ष की पूरी गुञ्जाइश रहती है।

दलमुक्त सरकार संगठन

इसमें एक मुख्य बात यह भी कही गयी है कि मतदाताओं को इस बात का शिक्षण दिया जायगा कि वे राजनीतिक दलों के मतवाद से ऊपर उठें। मतदाता को राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर अपनी समस्या, उम्मीदवार के गुण, आत्म-निर्भरता, सरकार पर कम-से-कम निर्भर रहने आदि के लिए संगठित तथा प्रशिक्षित किया जायगा।

सरकार-संगठन के बारे में सुझाया गया है कि : "प्रतिनिधि विधानसभा में आज की तरह दलों में बँटकर नहीं बैठेंगे, वे बैठेंगे अपने निर्वाचन-क्षेत्रों के अनुसार या वर्णमाला के अक्षरों के अनुसार। अपना अलग ब्लाक नहीं बनायेंगे। इस तरह सब प्रतिनिधि मिलकर सर्वसम्मति से अपना नेता चुनेंगे। सरकार में कमेटी प्रथा (गवर्नमेंट बाईकमेटीज) का प्रमुख स्थान होगा। हर प्रतिनिधि विधानसभा में अपने चुनाव-क्षेत्र की जनता की बात प्रस्तुत करते हुए जनता के हित को सामने रखकर सरकार की किसी नीति के प्रति अपनी असहमति प्रकट करने के लिए स्वतंत्र होगा।"*

(१) लेकिन सवाल यह है कि : इसमें यह मान लिया गया है कि पूरे राज्य या देश की जनता का सर्वसम्मति से ग्रामदान के सिद्धान्तों और अन्ततः व्यवहार को स्वेच्छा से, सर्वसम्मति से स्वीकार कर लेगी। आज के वैचारिक तथा संगठन की स्वतंत्रता के युग में यह सम्भव नहीं दिखता है। फिर आज वैचारिक आधार पर इतनी विभिन्नता है कि सामान्य हित किसमें है यह निश्चय करना कठिन है।

(२) प्रतिनिधि अपने चुनाव-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा। उसे न तो किसी राजनीतिक दल से मतलब रहेगा और न किसी वैचारिक संगठन से। ऐसी स्थिति में क्या सदस्य क्षेत्रीय संकीर्णता का शिकार नहीं होगा ? क्योंकि तब उसका किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल से सम्बन्ध तो रहेगा नहीं। आज एक पार्टी के सामने देश का पूरा क्षेत्र रहता है, न कि एक खास क्षेत्र।

(३) ग्रामदान के बाद राजनीतिक दलों का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, यह स्वीकार कर लेना सम्भव नहीं दिखता है। जाति, वर्ग, विचारवाद आदि को पूर्णतः निर्मूल कर देना एक कल्पनीय चीज है।

(४) एक वैचारिक प्रश्न भी सामने आता है। लोकतंत्र में—ग्रामदान में भी—विचार तथा संगठन की पूरी स्वतंत्रता दी गयी है। विचार-भेद को देखते हुए यह स्पष्ट है कि ग्रामदान में समाजवाद के अलावा अन्य विचारों—पूँजीवाद, साम्यवाद, सम्प्रदायवाद, कभी-कभी तानाशाही आदि का भी अस्तित्व रहेगा। देश में इस प्रकार के वैचारिक भेद रखनेवाले भी पर्याप्त मात्रा में रहेंगे। अब व्यवस्थापिका सभा में एक ही विचार के लोग जायँ, यह सम्भव नहीं। यहाँ यह कहा जाता है कि देश की योजना, विकास-पद्धति, सबके कल्याण के प्रश्न पर मतभेद होने का कारण नहीं। जैसे कृषि का विकास हो, उद्योग कहाँ चलें, इस पर मतभेद की बहुत गुञ्जाइश नहीं रहती है। परन्तु व्यवहारतः इस प्रकार के मतभेद होते हैं। अब पूँजीवाद समर्थक, सम्प्रदायवाद समर्थक या अन्य गहरे वैचारिक मतभेद के लोग ग्रामदान या समाजवाद के सिद्धान्त-व्यवहार को कैसे स्वीकार सकते हैं ? यदि किसी में वैचारिक निष्ठा है तो उसे अपने विचार पर पूर्ण रूप से दृढ़ रहने की पूरी छूट होगी। इस स्थिति में वैचारिक भेद के कारण व्यवस्थापिका सभा में वैचारिक-वर्ग का बनना स्वाभाविक लगता है। और यह वर्ग अन्ततः वैचारिक दल के रूप में विकसित हो सकता है। यह मान लेना कि ग्रामसभा के माध्यम से चुना गया उम्मीदवार किसी निश्चित वैचारिक घेरे में नहीं रहेगा, उचित नहीं। फिर यह भी सही नहीं कि सभी प्रतिनिधि समाजवाद या ग्रामस्वराज्य के सिद्धान्त-व्यवहार को ही माननेवाले हों।

जब वैचारिक भेद होंगे तो वैचारिक वर्ग भी बने रहेंगे और इस तरह लोकतंत्र दलमुक्त नहीं हो सकेगा। यदि दलमुक्त प्रतिनिधित्व का मात्र इतना ही अर्थ लगायें कि प्रतिनिधि दल से ऊपर, दल के घेरे से मुक्त रहेंगे तो भी उपरोक्त वैचारिक भेद की समस्या खत्म नहीं हो जाती। पूरी व्यवस्थापिका, व्यवस्थापिका के अध्यक्ष के समान दलमुक्त हो (ब्रिटेन में प्रतिनिधि-सभा का अध्यक्ष दल से ऊपर होता है) यह भी व्यावहारिक नहीं।

इन शंकाओं के बावजूद दलमुक्त लोकतंत्र के प्रति आशावान होना शायद लाभकर होगा। लोकतंत्र का बिगड़ती राजनीतिक दशा—खासकर भारत में—को देखते हुए यदि दलमुक्त लोकतंत्र का कोई रास्ता निकल सका, तो राजनीति शास्त्र के विज्ञान एवं कला में एक नया अध्याय जुड़ेगा। इसलिए इन प्रश्नों पर गहराई से विचार किया जाना चाहिए। और कोई ऐसी पद्धति विकसित करनी चाहिए, जिससे दलमुक्त लोकतंत्र के व्यावहारिक पक्ष को बल मिले।०

---

* "ग्रामस्वराज्य" : परिचर्चा और व्यापक विचार-विमर्श के लिए प्रकाशित पुस्तिका से।

"भूदान-यज्ञ" के ग्राहक बनाने का व्यापक अभियान चलायें

सर्व सेवा संघ के मंत्री श्री ठाकुरदास बंग की कार्यकर्ता साथियों से अपील

वाराणसी : सर्व सेवा संघ के मंत्री श्री ठाकुरदास बंग ने सर्वोदय-आन्दोलन को गतिवान्, प्राणवान् और ठोस बनाने के लिए कार्यकर्ता साथियों और मित्रों से अपील की है कि विचार-शिक्षण और उसकी स्थापना के लिए अहिंसक क्रान्ति के संदेशवाहक मुखपत्र "भूदान-यज्ञ" के ग्राहक बनाने का व्यापक और सघन अभियान चलायें। इस दृष्टि से 'भूदान-यज्ञ' के ग्राहक बनाने पर प्रति ग्राहक एक रुपया विशेष कमीशन देना तय हुआ है।

www.vinoba.in

सामयिक चर्चा

बैंक अब सरकार के हाथ में

चौदह बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक बड़ी घटना है—उतनी ही बड़ी जितनी बड़ी घटना थी रियासतों का खत्म होना और जमींदारी का टूटना। कांग्रेस में, और कांग्रेस के बाहर, यह बात बहुत दिनों से होती चली आ रही थी कि सरकार ने विकास की जो जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी है उसे पूरी करने के लिए जरूरी है कि व्यापार, उद्योग, खेती आदि में लगनेवाली पूँजी के स्रोत सरकार के हाथ में रहें। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। पूँजी बैंकों के हाथ में थी, और बैंक सरकार के हाथ में नहीं थे। वे मालिकों और संचालकों के हाथों में थे। नतीजा यह होता था कि देश की पूँजी का काफी हिस्सा पूँजीपतियों की निजी योजना में लगता था। भारत जैसे खेतिहर देश में खेती के लिए पूँजी न मिले, और दूसरी ओर सट्टेबाजी और मुनाफाखोरी के लिए पूँजी पानी की तरह बहे, यह स्थिति किसी अर्थ में देश के लिए शुभ नहीं मानी जा सकती।

पिछले वर्षों में भारत में विदेशी पूँजी खूब आयी है—कर्ज, अनुदान, और व्यापार के रूप में। लेकिन सोचने की बात यह है कि इस साल जनवरी में भारत में जितना रुपया था उसका ५० प्रतिशत अमेरिकन रुपया था जो भारत में इकट्ठा हो गया है। देश में जो नोटें चल रही हैं उनकी दो-तिहाई नोटें अमेरिकन रुपये की हैं यह है हमारा हाल!

देश की पूँजी देश के काम आनी चाहिए इसमें दो राय नहीं हो सकती। यह असह्य है कि देश की दौलत, पूँजी और विकास के अवसर थोड़े लोगों के हाथों में रहें, और देश की विशाल जनता उनके लाभ से वंचित रहे। भूमि, पूँजी, कारखाने और स्कूल पर से निजी मालिकी अविलम्ब समाप्त होनी ही चाहिए।

सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण जनता के नाम में किया है। वह यह देख रही थी, जैसा कि देश के सभी समझदार शुभचिन्तक देख रहे हैं, कि बढ़ती हुई गरीबी, बेकारी, और विषमता के कारण समाज में जो तनाव और संघर्ष पैदा हो रहे हैं—उनका पैदा होना अनिवार्य है—वे न लोकतंत्र को टिकने देंगे, और न देश की एकता कायम रहने देंगे। देश ज्वालामुखी के कगार पर पहुँच गया है। धीरे-धीरे चलकर हम सर्वनाश के सिवाय और कहीं पहुँच नहीं सकते। हमें जल्द-से-जल्द कुछ करना है।

सरकार ने एक जबरदस्त कदम उठाया है। लेकिन सरकार का हाथ जनता का हाथ है इसे सरकार ने अबतक की अपनी नीति-रीति से सिद्ध नहीं किया है। सरकार की पंचवर्षीय योजनाओं के बावजूद न बेकारी घटी है, और न विषमता। खेती की उसकी नीति ग्रामीण क्षेत्रों में एक नये अत्यन्त विषैले पूँजीवाद को जन्म दे रही है। बैंकों की पूँजी अपने हाथ में लेकर क्या सरकार उसे इसी तरह की गलत योजनाओं में लगानेवाली है? अगर खेती और छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने की उसकी बात सही हो तो यह जरूरी है कि सरकार अपनी खेती, शिक्षा और उद्योग की नीति तत्काल बदले। पूँजी पूँजीपतियों के हाथ से निकले तो सही अर्थ में जनता के हित में लगे, यह जरूरी है। निजी पूँजीवाद का स्थान सरकारी पूँजीवाद ले ले, तो जनता को क्या समाधान होगा? तब तो साँपनाथ की जगह नागनाथ होकर रह जायगा। इतने से समाजवाद की क्या सेवा होगी?

भारत की जनता सरकार को वोट देती है, और टैक्स देती है। उसे यह जानने का अधिकार है कि उसके विश्वास और उसके पैसे का क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत का समाजवाद जनता का समाजवाद होगा, सरकार का नहीं। हमें समाजवाद चाहिए, नये भेष का पूँजीवाद नहीं।

—राममूर्ति

राष्ट्रीयकरण यानी क्या?

१. भारत सरकार ने १४ बड़े बैंकों का 'राष्ट्रीयकरण' कर दिया है। ये वे बैंक हैं, जिनमें लोगों ने ५० करोड़ या इससे ज्यादा रुपया जमा किया है।

२. पचास करोड़ से कम जमावाले बैंक तथा विदेशी बैंक अभी छोड़ दिये गये हैं।

३. अभी कुछ दिनों तक हर बैंक का कारबार उसके ही नाम से होता रहेगा।

४. हर बैंक एक 'कारपोरेशन' हो जायगा जिनका प्रबन्ध एक 'कस्टोडियन' द्वारा होगा। अभी जो बैंक का चेयरमैन है वही 'कस्टोडियन' नियुक्त कर दिया जायगा।

५. जिन्होंने बैंकों में हिस्सा खरीदा है (शेयरहोल्डर) उन्हें सरकार मुआवजा (कम्पेन्सेशन) देगी, लेकिन रुपया सेक्योरिटी के रूप में सरकार के यहाँ जमा रहेगा।

मुआवजे के रूप में सरकार को कुल ६० करोड़ रुपया देना पड़ेगा।

मुआवजे के सम्बन्ध में जो प्रश्न पैदा होंगे उनके निपटारे के लिए 'ट्रिब्यूनल' कायम किया जायगा।

६. बैंक-डाइरेक्टरों के जो बोर्ड हैं वे भंग कर दिये गये उनकी जगह हर बैंक के लिए एक 'सलाहकार बोर्ड' नियुक्त होगा।

७. बैंक के कर्मचारी आज की ही तरह काम करते रहेंगे। वेतन, भत्ता, छुट्टी आदि में कोई अंतर नहीं किया जायगा।

८. अध्यादेश के पहले जिस तरह काम होता था उसी तरह अब भी काम होता रहेगा। किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी।

९. बैंकों के संगठन आदि में जो परिवर्तन करने होंगे वे एक कमीशन द्वारा जाँच-पड़ताल के बाद किये जायेंगे।

१०. छः महीने पहले बैंकों के सामाजिक नियंत्रण की जो व्यवस्था की गयी थी वह अब ५० करोड़ से नीचेवाले बैंकों पर ही लागू होगी।

बैंकों के राष्ट्रीकरण का यह अर्थ नहीं है कि अब सरकार ने हर चीज के राष्ट्रीयकरण की कोई व्यापक नीति अपना ली है। उसका उद्देश्य इतना ही है कि पूँजी थोड़े लोगों के हाथ में न रहे, सट्टेबाजी आदि में न लगे, तथा खेती और छोटे उद्योगों को भी जरूरत भर पूँजी मिले। जिस उत्पादक उद्योग में जो पूँजी लगी हुई है उसे वहाँ से निकालने की बात नहीं है।

पहला कदम

'चोटी के बैंकों का राष्ट्रीयकरण' प्रधान मंत्री की नयी अर्थनीति का पहला कदम है। यह कदम वित्त-विभाग को अपने हाथ में

लिये बिना संभव न होता। विभाग का परिवर्तन कितना उचित था यह सिद्ध हो गया। सिवाय निहित स्वार्थों के, बाकी पूरा देश राष्ट्रीयकरण का स्वागत करेगा। कांग्रेस में भी जो सत्ता का संघर्ष दिखाई देता है वह वास्तव में सिद्धान्तों का संघर्ष है।'

'प्रधान मंत्री का दूसरी पार्टियों तथा जनता के सम्बन्ध में जो स्थान है उसके कारण वह अपने दल की उठापटक का विषय नहीं बनाया जा सकता। सन् १९७२के काफी पहले कांग्रेस को तय कर लेना पड़ेगा कि वह परिवर्तन के साथ रहेगी या यथास्थिति के। बैंकों के राष्ट्रीयकरण को लेकर इतना हल्ला क्यों? बैंक आखिर व्यापारिक संस्थाएँ हैं, जिनका उद्देश्य सार्वजनिक सेवा के सिवाय और क्या है?'

'कांग्रेस को चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू की नीतियों पर दृढ़ रहे। ये नीतियाँ बार-बार दुहरायी गयी हैं। अगर इस समय कोई गलत काम हुआ और कोई अनिष्टकारी स्थिति पैदा हुई तो उसकी जिम्मेदारी दूसरों की होगी, न कि प्रधान मंत्री की। प्रधान मंत्री ने तो एक ऐतिहासिक काम किया है।' —"नेशनल हेरल्ड" (दिल्ली)

मनमाना कदम

'विदेशी बैंकों को छोड़कर १४ भारतीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण श्रीमती गांधी के आज के समाजवादी सपनों के भी आगे का काम है। स्टेट बैंक को लेकर इन चौदह बैंकों के पास कुल बैंकों की जमा पूँजी का लगभग ८० प्रतिशत होगा। जब विदेशी बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है तो इन बैंकों के पास इतनी पूँजी रह जायगी, यह आसानी से सोचा जा सकता है। कुछ भी हो, यह तो मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रीयकरण के इस कदम से भारतीय अर्थनीति का, या समाजवाद का ही, क्या हित होगा? बैंकों ने अपनी पूँजी का बहुत बड़ा भाग निजी उद्योग और व्यापार में लगा रखा है। तो क्या सरकार समाजवाद के नाम में इन निजी उद्योगों और व्यापार को बंद कर देगी? बहुत थोड़ी ही पूँजी इनके अलावा दूसरे कामों में लगा सकेगी। इतना काम तो सामाजिक नियंत्रण (सोशल कंट्रोल) से, जो अभी लागू है, हो सकता था। सामाजिक नियंत्रण के क्या परिणाम होते हैं, इसे कुछ दिन और देखना चाहिए था।'

'सरकार की बातों और वादों का कोई ठिकाना नहीं है। इससे आर्थिक व्यवस्था को बहुत बड़ा धक्का लगेगा; राष्ट्रीयकरण के जो दोष हैं वे तो अपनी जगह रहेंगे ही। अब निजी उद्योगों को सरकार की कृपा पर निर्भर रहना पड़ेगा। सरकार की जो क्षमता है वह हमें मालूम है। उसका पूँजी-बाजार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बैंकों में रुपया जमा करनेवालों, और बैंकों से कर्ज लेनेवालों, दोनों को परीशानी उठानी पड़ेगी। सचमुच जिसे राष्ट्रीयकरण कहा जा रहा है वह सरकारी करण है। यह एक ऐसा तमाशा है जिसे राजनीति के कुछ लोग किया करते हैं।'

—"स्टेट्समैन" (दिल्ली)

उत्तरप्रदेश के ११ जिलों का जिलादान पूरा करने का निश्चय

वाराणसी २४ जुलाई। यहाँ से १३५ किलोमीटर दूर श्रीगांधी आश्रम अकबरपुर में उत्तरप्रदेश ग्रामदान-प्राप्ति समिति की बैठक श्री विचित्रनारायण शर्मा की अध्यक्षता में १८-१९ जुलाई को हुई। इस बैठक में समिति के संयोजक श्री कपिल भाई ने बताया कि ३० जून तक प्रदेश के ४१ जिलों में १८,७०६ ग्रामदान, ९७ प्रखण्डदान और २ जिलादान हुए हैं।

समिति में ग्रामदान-प्राप्ति की प्रक्रिया पर विशद चर्चा हुई और यह निश्चय किया गया कि जिस जिले में अनुकूल परिस्थिति हो और ८० प्रतिशत कार्यकर्ता तथा लगभग २०० अस्थायी कार्यकर्ता (शिक्षक अथवा सरकारी, गैर-सरकारी या समाज-सेवी संस्थाओं के कार्यकर्ता) प्राप्त हो सकें वहाँ पर तहसील-स्तर के ग्रामदान-अभियान चलाये जायँ। अक्तूबर तक प्रत्येक जिले की १० तहसीलों तक में अभियान चलाये जाने का निश्चय हुआ।

जिन जिलों में १०० से कम ग्रामदान मिले हैं, वहाँ प्रखण्ड-स्तर पर गोष्ठियाँ की जायँ और वातावरण बनने पर अभियान चलाया जाय। कई जिले ऐसे भी हैं, जहाँ अभी तक ग्रामदान का कार्य प्रारंभ ही नहीं हुआ है, वहाँ पर जिला परिषद और गांधी-शताब्दी समितियों के सहयोग से विचार-प्रचार और गोष्ठियाँ आयोजित की जायँ। अनुकूलता होने पर ग्रामदान-अभियान प्रारंभ हो।

समिति ने यह भी निश्चय किया है कि अभियानों में जो कार्यकर्ता जायँ वे अपने साथ ग्रामदान व सर्वोदय-साहित्य भी रखें। आन्दोलन का मुखपत्र "भूदान-यज्ञ" साप्ताहिक और "गाँव की आवाज" पाक्षिक के ग्राहक बनाने का प्रयत्न होना चाहिए, ताकि ग्रामदानी गाँवों में विनोबाजी की अधिकृत वाणी पहुँचती रहे।

ग्रामदान-प्राप्ति समिति ने सर्वसम्मति से ६ सदस्यीय अभियान-संचालक मण्डल का गठन किया है। सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं: सर्वश्री राजाराम भाई, सुन्दरलाल बहुगुणा, बृजमोहन तिवारी, मेवालाल गोस्वामी, आनन्दी भाई और सुरेशराम।

उपर्युक्त संचालक-मण्डल को यह दायित्व सौंपा गया है कि अक्तूबर १९६९ तक निम्नांकित जिलों के जिलादान की पूर्ति का प्रयास करें। इन जिलों के नाम हैं—वाराणसी, चमोली, फर्रुखाबाद, देहरादून, आजमगढ़, गाजीपुर, फैजाबाद, आगरा, मैनपुरी, पीलीभीत और रामपुर।

समिति के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए सर्व सेवा संघ के मंत्री श्री ठाकुरदास बंग, ग्रामस्वराज्य समिति के संयोजक आचार्य राममूर्ति और डा० दयानिधि पटनायक ने कहा कि वातावरण, कार्यकर्ता और धन के अभाव से आन्दोलन में तीव्रता नहीं आ सकी है, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के 'कैडर' बनाने की आवश्यकता पर बल देते हुए आचार्य राममूर्ति ने कहा कि हमारा आन्दोलन ग्रामस्वराज्य का है, ग्रामदान उसका कार्यक्रम है, और सर्वोदय जीवन-दर्शन है। डा०पटनायक ने जनाधार शक्ति की आवश्यकता पर बल दिया। (सप्रेस)

www.vinoba.in

तत्त्वज्ञान

भगतसिंह, सुखदेव और राजगुरु को दी गयी फांसी तथा गणेश शंकर विद्यार्थी के आत्म-बलिदान के प्रसंगों से क्षुब्ध कराची-कांग्रेस-अधिवेशन के लोगों को सम्बोधित करते हुए २६ मार्च १९३१ को गांधीजी ने कहा था :—

"जो तरुण यह ईमानदारी से समझते हैं कि मैं हिन्दुस्तान का नुकसान कर रहा हूं, उन्हें अधिकार है कि वे यह बात संसार के सामने चिल्ला-चिल्लाकर कहें। पर तलवार के तत्त्वज्ञान को हमेशा के लिए तलाक दे देने के कारण मेरे पास अब केवल प्रेम का ही प्याला बचा है, जो मैं सबको दे रहा हूँ। अपने तरुण मित्रों के सामने भी अब मैं यही प्याला पकड़े हुए हूँ....।"

उसके बाद का इतिहास साक्षी है कि देश ने तलवार के तत्त्वज्ञान को तलाक देनेवाले गांधी का साथ दिया। साम्राज्य-वाद की नींव हिली, भारत में लोकतंत्र की नींव पड़ी और संसार को मुक्ति का एक नया रास्ता मिला।

संसार आज बन्दूक की नली के तत्त्वज्ञान से और अधिक त्रस्त हुआ है। विनोबा संसार को वही प्रेम का प्याला पिलाकर बन्दूक के तत्त्वज्ञान को तलाक दिलाना चाहता है और देश में सच्चे स्वराज्य की स्थापना के लिए उसने नया रास्ता बताया है।

क्या हम वक्त को पहचानेंगे और महान कार्य में वक्त पर योग देंगे ?

गांधी रचनात्मक कार्यक्रम उपसमिति (राष्ट्रीय गांधी-जन्म-शताब्दी-समिति)
दुंकलिया भवन, कुन्दीगरों का भैरू, जयपुर-३ राजस्थान द्वारा प्रसारित।

www.vinoba.in

गुजरात में सर्वोदय-कार्य के लिए गुजरात के नागरिकों द्वारा १ लाख २५ हजार रु० का दान

गुजरात सर्वोदय मण्डल की अध्यक्षा सुश्री कान्तावहन शाह और गुजरात के प्रसिद्ध लोकसेवक डा० द्वारकादास जोशी ने गत मई, '६९ में गुजरात की जनता से अपील की थी कि वह गांधी-शताब्दी वर्ष के लिए सोचे गये विविध कार्यों के खर्च को चलाने हेतु गुजरात सर्वोदय मण्डल को इस वर्ष कम-से-कम २ लाख रुपयों की मदद करें। इस रकम के सहारे पूरे समय के १०० कार्यकर्ताओं को प्रान्त में रखने की योजना है। कान्तावहन ने इस निमित्त से अहमदाबाद, बम्बई और मद्रास नगरों की यात्रा करके अर्थ-संग्रह के लिए जो प्रयत्न किया, उसके परिणामस्वरूप उन्हें इन नगरों के कोई ९०० सर्वोदय-प्रेमी नागरिकों ने ४० दिनों में कुल रु० १,३५,००० की सहायता दी। दाताओं में कम-से-कम २ रु० और अधिक-से-अधिक ५,००० रु० देनेवाले दाता उन्हें मिले। अर्थ-संग्रह के निमित्त से की गयी इस यात्रा में सुश्री कान्तावहन को उक्त नगरों में लोक-मानस के जो दर्शन हुए और लोक-हृदय की निर्मलता तथा सरलता की जो प्रतीति हुई, उसकी चर्चा करते हुए वे लिखती हैं: "अपनी इस यात्रा में हमें सर्वोदय-विचार की व्यापकता का और विनोबाजी के पुण्य-प्रताप का दर्शन एक बार फिर हुआ। अपरिचित-से-अपरिचित परिवारों और व्यक्तियों के पास पहुँचकर भी हम अपनी बात निःसंकोच भाव से रख सके। हमने अनुभव किया कि विनोबाजी का तथा सर्वोदय का नाम और काम आज न केवल सर्वव्यापक, बल्कि सर्वपरिचित भी बन चुका है। हमारा यह विश्वास फिर पुष्ट हुआ है कि सर्वोदय का काम एक ईश्वर-प्रेरित काम है और उसी ईश्वर की प्रेरणा से जनतारूपी जनार्दन ही इस काम को चला रहा है।"•

भूदान में सबसे अधिक भूमि देनेवाले क्रान्तिकारी जिला हजारीबाग का जिलादान

प्राप्त सूचनानुसार हजारीबाग का जिलादान रामगढ़ कैंट में आचार्य विनोबा को २८ जुलाई को समर्पित किये जाने की संभावना है। हजारीबाग के सम्बन्ध में अपने उद्गार प्रकट करते हुए आचार्य विनोबा ने कहा है कि "सारे भारत में सबसे अधिक जमीन इस जिले में मिली है और बँटी है। बड़ा क्रान्तिकारी काम हुआ है।"

जिले के युवक नेता श्री श्यामप्रकाश ने एक भेंट में बताया कि जिलादान में सहयोग देनेवाले सभी महानुभावों और जिले की जनता के प्रति हम कृतज्ञ हैं। स्मरणीय है कि इस अभियान को पूर्णता की मंजिल तक पहुँचाने में पटना जिले के कार्यकर्ता साथी श्री विद्यासागरजी के नेतृत्व में जून महीने से ही महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं।•

ग्राम-स्वराज्य समिति की बैठक

वाराणसी, २४ जुलाई। दुनिया के इतिहास में अपने जनपदों के लिए प्रसिद्ध वैशाली क्षेत्र के मुजफ्फरपुर जिले में अखिल भारतीय ग्राम-स्वराज्य समिति की प्रथम बैठक का आयोजन एक ग्रामदानी गांव के आमंत्रण पर १४ से १७ अगस्त '६९ तक किया गया है, समिति के प्रवक्ता के अनुसार इस ग्रामदानी गाँव में बीघा-कट्ठा का वितरण, ग्रामकोष का निर्माण और नयी ग्रामसभा का शुभारम्भ इसी अवसर पर होगा। इस बैठक का सारा खर्च उक्त ग्रामदानी गाँव वहन करेगा। इस सारे आयोजन में श्री जयप्रकाश नारायण शामिल रहेंगे।•

टीकमगढ़ को नशामुक्त बनाने का आश्वासन

२८ जून को नगरपालिका के पार्षदों एवं जिले के सर्वोदय-कार्यकर्ताओं की एक सम्मिलित बैठक हुई, जिसमें सर्वसम्मत निर्णय द्वारा नगर को नशामुक्त बनाने, भंगी कष्ट-मुक्ति का कार्य तीव्रता से चलाने, गांधी-स्मारक के निर्माण-हेतु राजेन्द्र पार्क में गांधी स्वाध्याय-कक्ष स्थापित किये जाने एवं पेय जल-पूर्ति की समस्याओं के समाधान का आवश्यक कार्यवाही द्वारा पूरा करने का निश्चय किया गया।

बिहार रिलीफ कमिटी द्वारा राजस्थान के अकाल-कार्य के लिए ५० हजार रु० की सहायता

श्री जयप्रकाश नारायण ने बिहार रिलीफ कमेटी की ओर से ५० हजार रुपये की रकम राजस्थान के अकाल-कार्य के लिए सहायता-रूप में भेजी है। यह रकम प्रान्तीय सर्वोदय-संगठन राजस्थान समग्र सेवा संघ को प्राप्त हुई है।•

कानपुर में शतदिवसीय गांधी-शताब्दी अभियान प्रारम्भ

गांधी-शताब्दी में गांधीजी का सन्देश उनके साहित्य और कार्यक्रमों के माध्यम से शहर के हर क्षेत्र और हर वर्ग में पहुँचाने के लिए यहाँ नागरिक और प्रमुख रचनात्मक संस्थाएँ २५ जून से २ अक्तूबर तक एक शतदिवसीय अभियान चला रही हैं। २५ जून को प्रातः साढ़ेछः बजे कार्यक्रम का श्रीगणेश हुआ।

अभियान-समिति के संयोजक श्री विनय अवस्थी ने बताया कि अभियान के अन्तर्गत भंगी-मुक्ति, मद्य-निषेध, खादी-ग्रामोद्योग ग्रामदान-ग्रामस्वराज्य, सर्वधर्म-समभाव, शान्ति-सेना और गांधी-साहित्य, इन सात कार्यक्रमों पर बल देना तय किया है।

—विजय बहादुर सिंह

पठनीय मननीय

नयी तालीम

शैक्षिक क्रान्ति की अग्रदूत मासिकी

वार्षिक मूल्य : ६ रु०

सर्व सेवा संघ प्रकाशन, वाराणसी-१

वार्षिक शुल्क : १० रु०; विदेश में २० रु०; या २५ शिलिंग या ३ डालर। एक प्रति : २० पैसे।
श्रीकृष्णदत्त भट्ट द्वारा सर्व सेवा संघ के लिए प्रकाशित एवं इण्डियन प्रेस (प्रा०) लि० वाराणसी में मुद्रित।

www.vinoba.in

विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन् अनातुरम् । – अथर्ववेद
इस गाँव में स्वस्थ और परिपुष्ट विश्व का दर्शन हो।

इस अंक में

सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं
क्या गांधी हमारे देश में जिन्दा हैं ?
नवटोलियों की ग्रामसभा
जय ग्राम : जय जगत्
कूड़े-कचरे से खाद बनायें–४
रागिनी की आँख-मिचौनी

२८ जुलाई, '६९
वर्ष ३, अंक २४] [१८ पैसे

गाँव की मुक्ति—२

सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं

पुलिस है लेकिन रक्षा नहीं, पंचायत है लेकिन मेल नहीं, अदालत है लेकिन न्याय नहीं, विद्यालय है लेकिन विद्या नहीं, सरकार है लेकिन सुनवाई नहीं।

जिस सरकार को जनता अपने वोट से बनाती है, और अपने टैक्स से चलाती है, उसके यहाँ भी सुनवाई न हो तो मनुष्य कहाँ जाय ? उसका अंतिम भरोसा भगवान पर होता है, किन्तु भगवान की कृपा कब, किस रूप में होगी, इसका किसीको क्या पता ? सबसे बड़ी शक्ति जिसे मनुष्य अपनी आँखों से अपने चारों ओर देखता है वह है सरकार की। उसका रुपया चलता है, उसकी रेल चलती है, उसकी लाठी-बन्दूक चलती है, उसकी अदालत चलती है, उसका स्कूल चलता है। सब जगह सब कुछ उसीका चलता है। लोग कहते भी हैं कि सरकार सबसे बड़ी, सबसे धनी, सबसे शक्तिशाली है।

हरखू यह सब जानता है, लेकिन अपने गाँव में हरखू कुछ दूसरा ही देखता है। वह देखता है कि वहाँ मानधाता बाबू की चलती है, रामबली की चलती है, सोहन सेठ की चलती है। ये लोग सरकार तो नहीं हैं फिर भी इनकी ही चलती है। मानधाता बाबू गाँव के एक बड़े आदमी हैं; १५० बीघा जमीन है; हाईस्कूल के मैनेजर हैं। पहले गाँव के प्रधान थे, इस बार ब्लाक-प्रमुख हैं। कई मोटरें चलती हैं। लड़का डाक्टरी पढ़ रहा है। दारोगा, बी० डी० ओ०, नेता, जो भी आते हैं उन्हींके यहाँ ठहरते हैं, खाते-पीते हैं। जब चाहें दस-बीस आदमी उनका हुक्म बजाने के लिए तैयार रहते हैं। नेकी करें तो उनकी कृपा; सतायें तो उनकी मर्जी। रामबली के पास न धन है, न विद्या है, न सरकार में पहुँच है, लेकिन ऐसा बेकहा है कि जरा-जरा-सी बात में लाठी उठा लेता है। रात को खड़ा होकर खेत चराता है। कुछ कहो तो माँ-बहन की गाली देता है, और मारने की धमकी देता है। अभी उस दिन हरखू पर नाहक उबल पड़ा। अगर उसी समय गाँव के कुछ लोग आ न गये होते तो कौन जाने कुछ और कर बैठता।

सोहन साहु हैं तो मीठे आदमी लेकिन सूद का हिसाब कौड़ी-कौड़ी कर लेते हैं। चुनाव में पार्टी माँगेगी, सबको कुछ-न-कुछ देंगे, हाकिमों की खातिर भरपूर करेंगे, लेकिन क्या मजाल कि कोई गरीब कर्ज का एक पैसा भी छुड़वा ले ! पैसे का बल है, सब जगह पहुँच है, जो चाहते हैं कर लेते हैं। गाँव में कौन है जिसने सोहन साहु का कर्ज नहीं खाया है ? इस बार मानधाता बाबू ब्लाक-प्रमुख हुए तो सोहन साहु ग्रामप्रधान हैं।

हरखू देखता है कि गाँव में उसकी चलती है जिसके हाथ में मोटा डंडा है, जिसकी थैली में पैसा है, जिसकी नेताओं और अफसरों में पहुँच है। वहाँ कौन किसकी सुनता है ? जिसके हाथ में शक्ति हो वह चाहे जो अनीति करे, चाहे जितना गरीब को सताये, सब जानते रहेंगे, देखते रहेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा।

उस दिन जियावन मिसिर का लड़का बिरजू चमार के घर में घुस गया। उसकी लड़की शादी के बाद पहली बार ससुराल

से आयी थी। सोती रात हल्ला हुआ। क्या किया किसीने? बाबू लोग सब एक हो गये। कानाफूसी कई दिन तक होती रही, पर हुआ कुछ नहीं।

ग्रामसभा की जितनी जमीन थी उसका आज पता नहीं है। जो जितनी दबा सका, उसने उतनी दबा ली। खुद प्रधानजी ने भी डेढ़-दो बीघे पर कब्जा कर रक्खा है। कौन किसको कहे, और कौन सुने? लाठी उसकी नहीं है जिसकी भैंस है, बल्कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है।

पैसा है तो कोई क्या कर लेगा?

गाँव-गाँव में कौरव का राज है

हरखू कहता है कि गाँव गाँव नहीं, दुर्योधन का दरबार है। कौरव-पांडव सब बैठे हैं, और द्रोपदी का चीर-हरण हो रहा है। कोई कुछ बोलता नहीं। हरखू पूछता है, यह पंचायत किसलिए है? थाना-अदालत किसलिए है? हाकिम और नेता किसलिए हैं? और किसलिए हैं पंडित, पुरोहित और शिक्षक? ये तो ये ही ठहरे, सरकार किसलिए है?

पुलिस के सामने ही लूटपाट

विद्यालय में पढ़ाई नहीं, हड़ताल

सरकार अन्धी है, बहरी है और गुंगी है

क्या यह सब इसी तरह चलता रहेगा? क्या इसी तरह जीने का नाम जिन्दगी है? रह-रहकर हरखू के मन में ये सवाल उठते हैं। हरखू के मन में जो सवाल उठे हैं वे ऐसे हैं कि जबतक उनके जवाब नहीं मिलते उसे चैन नहीं लेने देते।•

क्या गांधी हमारे देश में जिन्दा हैं ?

www.vinoba.in

आजकल शहरों की चकाचौंध के बीच यदि हम गांधी को खोजने बैठेंगे, तो संभव है कि हम इस नतीजे पर पहुँचें कि गांधी की आत्मा अब हमारे देश में नहीं रही !

गगन छूनेवाले मकानों के बीच में चींटियों की तरह कतार में भोंपू बजाते हुए रंग-बिरंगी मोटरें चलती रहती हैं। एक तरफ सड़क पर डेरा डालनेवाले, दूसरी तरफ अत्यन्त ऐशो-आराम से रहनेवाले ! गरीबों और अमीरों, दोनों में शराब का बोलबाला। सड़कों को पार करने के लिए मनुष्यों के झुण्ड भेड़-बकरियों की तरह रहते हैं और इसके साथ-साथ वास्तविक बकरियों के झुण्ड भी कसाई-घर की ओर उस सारे हल्लागुल्ला के बीच में अत्यन्त डरे हुए, धीरे-धीरे कसाई के छूरी की ओर बढ़ रहे हैं। शहरों के किनारे-किनारे नये कारखानों के बोर्ड लगाये हुए रहते हैं। देहातों के बीच में अन्न उपजानेवाली देहात की अच्छी जमीन पर भी नये कारखानों के बोर्ड लगाये हुए रहते हैं। रात को आँखें नायलान साइनों से चकाचौंध हो जाती हैं। खादी के वस्त्र देखने में कहाँ ? अब टेरलीन का जमाना आ गया है। क्या यह देश गांधीजी का देश है ? क्या वे कहीं इस देश में जिन्दा हैं ?

हाँ, वे जिन्दा हैं ही, और जिन्दा रहेंगे। एक दिन सिर्फ भारत को नहीं, बल्कि सारी दुनिया को इस खराब स्वप्न से जगना पड़ेगा। बम्बई-जैसे राजसी नगरों के बीच में भी कहीं-कहीं एक छोटी-सी गांधी को माननेवाली जमात मिल जाती है। बम्बई में भी कितनी निष्ठा से काम करनेवालों की कितनी सादगी से रहनेवाली जमात खोजने पर मिलती है। दिन भर अपनी जी उबानेवाली नौकरी करने के बाद फिर भी अपने फालतू समय में ये कितने अलग प्रकार के सृजनात्मक कार्यों में अत्यन्त श्रद्धा से लगे रहते हैं ! आपस में कितना प्रेम और भाई-चारा ! इससे उनके कष्टमय जीवन में एक आनन्द भी आता है। ये ही लोग हैं, जो गांधी की आत्मा को भारत में रोक रहे हैं।

देहातों में भी रेगिस्तान के बीच में नखलिस्तान की तरह ऐसे कुछ टापू मिलते हैं, जहाँ अभी तक गांधी जिन्दा हैं, जहाँ वर्षों की तपस्या से देहात में एक ऐसी बुनियाद अभी तक भी रही है, जिस पर ग्रामस्वराज्य की सीधी, लेकिन पक्की और स्थायी रहनेवाली इमारत खड़ी की जाने की उम्मीद है।

सुरेबान के आसपास एक काफी बड़ा क्षेत्र है। जनवरी सन् १९४८ में स्वामी नीलकण्ठ सेवाग्राम में प्रशिक्षण ले रहे थे। ३० जनवरी से उन्होंने संकल्प किया कि आज से मेरा जीवन भारत के देहातों के लिए समर्पित है। घर लौटकर वे घर को छोड़कर सुरेबान के पास के एक गाँव, कोलाल में बैठ गये। खादी, सफाई, मुकदमा-मुक्ति, हरिजन-सेवा, भजन, कीर्तन इत्यादि, यह उनका कार्यक्रम रहा और उनका क्षेत्र बढ़ता गया। अपने सीधे, सरल और भक्तिमय स्वभाव के द्वारा वे बहनों में भी काफी हद तक प्रवेश कर चुके हैं। उनके साथ नौजवानों की एक छोटी सी जमात भी जुट गयी है। यह स्थान तीन जिलों के संगम पर है, तो उनका 'प्रेमक्षेत्र' बेलगाँव, धारवाड़ और विजापुर जिलों में फैला हुआ है।

कस्तूरबा-संवत्सरी लोकयात्रा टोली को उस क्षेत्र में घूमने का अवसर मिला। वास्तव में वहाँ पर हमने पाया था कि गांधी की आत्मा जिन्दा है। दीया लेकर देहाती बहनों की एक खासी बड़ी जमात हमारे स्वागत में खड़ी रहती थी और भक्ति-भाव से हमें सूत की माला पहनाकर वे हमारे कितनी बार मना करने पर भी दण्डवत प्रणाम करती थीं। स्कूल के बच्चे बाजा लेकर हमें गाँव में जुलूस में घुमाते थे। दिन भर भाई और बहनें बड़े चाव से हमसे मिलने आती थीं। शाम को एक विराट सभा जुटती थी। एक तरफ भाइयों की, दूसरी तरफ बहनों की अच्छी जमात बहुत शान्ति और भक्तिभाव से बैठती थी। कार्यक्रम भजन से प्रारम्भ होता था और फिर उतनी ही भक्ति-भावना से भाई-बहन बहुत प्रेम और श्रद्धा से प्रवचन सुनकर गद्गद हो जाते थे। इस इलाके में ग्रामदान काफी हो चुके हैं। थोड़ा-सा प्रयत्न करने पर वह इलाका पूरी तरह ग्रामदानी बन सकता है।

विजापुर जिले में स्वामीजी का प्रेम-क्षेत्र बागलकोट से आगे हुण्डगुण्ड तक फैला हुआ है। बहुत दूर से लोग अपने व्यक्तिगत और सामाजिक मतभेदों और झगड़ों को मिटाने के लिए उनके पास आया करते थे, लेकिन अब लगभग तीन साल से वे बराबर ग्रामदान-तूफान यात्रा में घूम रहे हैं। उनके जवान साथी उनके आश्रम और खादी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं।

फिर हुदली का क्षेत्र। सन् १९२४ में गांधीजी की प्रेरणा से श्री गंगाधरराव देशपाण्डे ने यहाँ पर खादी का काम प्रारंभ किया। सन् १९२९ में गांधी सेवा संघ के अधिवेशन में गांधीजी एक हफ्ते तक यहाँ पर रहे और उसी समय से अभी तक उनकी आत्मा उस क्षेत्र में भी जिन्दा है।

गांधीजी के स्वागत के लिए सारे गाँव में श्रमदान के द्वारा पत्थर लगाये गये। सिर्फ लगभग २० फूट लम्बा अन्तिम हिस्सा रह गया। वह हिस्सा तो रह गया, सो रह ही गया ! लेकिन गांधीजी बराबर पूछते-लिखते रहे कि वह पूरा हो पाया है या

नहीं ? उस छोटे हिस्से को पूरा करने में लगभग दस साल लग गये लेकिन जबतक आश्वासन नहीं मिला कि वह पूरा हो ही गया है, तबतक गांधीजी उस बात को भूले नहीं। गांधीजी ने एक कुएं को खोदने में पहला फावड़ा चलया, वह कुआं भी पूरा हुआ। और सिर्फ वह कुआं नहीं, लेकिन हुंदली गांव के सारे कुएं, आसपास के क्षेत्र के कुएं भी, सब अभी तक हरिजनों के लिए खुले हैं। स्कूल में भी सार्वजनिक सभाओं इत्यादि में वर्ण-भेद, अस्पृश्यता का कलंक पूरी तरह मिट गया है। गांधी-चौक में गांधीजी की एक सुन्दर मूर्ति भी बनी है। उस क्षेत्र के गांवों से बहुत बड़ी संख्या में भाई-बहनें जेल जाया करती थीं। कभी-कभी एक ही गांव से २०० से ज्यादा लोग एक ही समय में जेल में ही रहा करते थे। खादी के काम में उत्तरोत्तर प्रगति चलती रही। अखिल भारतीय कताई-प्रतियोगिता में इधर की बहनें लगातार इनाम लाती रहीं यहां तक कि अन्त में तय करना पड़ा कि अब औरों को भी मौका देना चाहिए, हम लोग भविष्य में भाग नहीं लेंगे। पाच्छापुर गांव में ७० हजार रुपये की कीमत का 'गांधी-भवन' बन चुका है, जिसमें सिर्फ १० हजार रुपये बाहर से आये थे, बाकी सब स्थानीय रुपये और श्रमदान के द्वारा बना है।

अभी दो तालुकों के लिए एक तालुका-स्तर की संस्था बना है, जिसके द्वारा लगभग १ हजार लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। अब टमाटर तथा आम के संरक्षण के लिए भी एक योजना बन रही है। ग्राम-स्वावलम्बन की ओर बढ़ने के दृष्टिकोण से गांव में बिकनेवाली खादी पर १० प्रतिशत कमीशन बराबर मिलता रहता है। खादी की बिक्री अन्य प्रान्तों में भी बराबर चलती रहती है। तो इस इलाके में गांधी अभी तक जिन्दा है।

इस क्षेत्र में भी कस्तूरबा-शतसंवत्सरी लोकयात्रा से काफी प्रेरणा मिली है। कार्यकर्ताओं में और जनता में उत्साह काफी दीखता है और ये मिलकर सोचने लगे हैं कि शतसंवत्सरी में यह करके दिखायेंगे कि गांधी अभी तक जिन्दा है, और उसका प्रभाव बढ़ रहा है।

इसी प्रकार हमारे सारे देश में ऐसे प्रकाश-स्तंभ छिपे हुए होंगे, सिर्फ उन्हें खोजकर उनमें बिजली की धारा के प्रवाह का प्रसार फिर जगाने की आवश्यकता है। आशा होती है कि इस शतसंवत्सरी वर्ष में जहां-जहां गांधी और विनोबा का प्रत्यक्ष स्पर्श हुआ, लेकिन दीया कुछ मंद हुआ, वहां अब ग्राम-स्वराज्य की क्रान्ति में कूदकर ये फिर देश में प्रकाश के स्तंभ का सच्चा स्थान लेने को तैयार होंगे। —सरलादेवी

किसानों को राहत

एक सज्जन चलता-फिरता बापुगांव में आया। वहां के आदिवासियों की परिस्थिति देखकर उसको बहुत दुःख हुआ। उसने देखा कि किसानों के पास जमीन है, पर अपना बैल नहीं। उन्हें हल चलाने के लिए बैल भाड़े पर साहुकार के पास से लाना पड़ता था। उन्हें एक जोड़ी बैल के लिए चार मन धान अथवा १२० रु० देना पड़ता था। इस तरह मेहनत किसान की, जमीन किसान की और पैदावार के पैसे साहुकार के पास चले जाते थे। यह हालत देखकर उस सज्जन ने बापु-गांव के किसानों को ९-१० हजार रुपये के ७० बैलों का ४४ किसानों में वितरण कर दिया।

इस तरह किसानों की कठिनाई दूर हुई। साहुकार के चंगुल से किसान मुक्त हुए। किसानों ने उसे खूब आशीर्वाद दिया।

जिस सज्जन ने आदिवासियों की मदद की वह ६० वर्ष का बूढ़ा था। प्रतिदिन कम-से-कम १२ से १६ घंटे तक काम करता था। उसका मुख्य काम सूत-कताई, कपड़ा-सिलाई, बड़े-बड़े संत-महात्माओं के चित्र बनाना आदि था। तीन सप्ताह तक बापु-गांव में रहकर हर किसानों के घर जाकर सम्पर्क किया और उनसे प्रेम प्राप्त किया। —श्यामसुन्दर सिंह

"गाँव की बात"
अब
"गाँव की आवाज"

लगातार तीन वर्षों की लिखा-पढ़ी के बाद अब प्रेस-रजिस्ट्रार के यहां से "गांव की बात" का रजिस्ट्रेशन "गाँव की आवाज" के नाम से मिल पाया है। गाँव की बात अब गाँव की आवाज बनने जा रही है। इस परिवर्तन से एक पुराने परिचित नाम के छूटने का कुछ मोह हमें अवश्य हो रहा है, लेकिन कोई भी बात जब आवाज बनती है तब उसमें शक्ति पैदा होती है। हम आशा करते हैं कि गाँव की बात अब गाँव की आवाज बनकर अधिक शक्तिशाली होगी। यह ध्यान देने की बात है कि 'गाँव की आवाज' का प्रकाशन पूरी तरह सार्थक तभी होगा, जब इसे गाँव-गाँव तक पहुँचाने की कोशिश होगी। यह पाक्षिक पत्रिका हर माह की तारीख १ और १६ को प्रकाशित होगी। इसका वार्षिक चन्दा चार रुपये और एक प्रति का मूल्य बीस पैसे रहेगा। इस अंक के बाद अगला अंक १६ अगस्त को १६ पृष्ठों का प्रकाशित होगा। —व्यवस्थापक

नवटोलियों की ग्रामसभा

मुंगेर जिले का चौथम प्रखण्डदान दिसम्बर १९६६ में ही घोषित हो गया था। जिले के निष्ठावान लोकसेवक तथा सर्व सेवा संघ के जिला-प्रतिनिधि श्री गणेश प्रसाद सिंह का घर तथा मुख्य कार्य-क्षेत्र इसी प्रखण्ड में है। आचार्य राममूर्तिजी का सम्पर्क सन् १९५७ से ही चौथम प्रखण्ड से रहा है। प्रखण्ड-दान-अभियान में आचार्य राममूर्तिजी ने इस क्षेत्र में गहरा सम्पर्क किया था। प्रखण्ड के सिलसिले में अधिकांश गाँवों में वे स्वयं गये। आचार्यजी ने जिस तरह अभियान का संयोजन तथा मार्गदर्शन किया, उससे लोक-शक्ति का अच्छा-खासा स्वरूप उसी समय प्रकट हुआ था। अभियान के फलस्वरूप जो लोकशक्ति सामने आयी थी, उसका उपयोग प्रखण्डदान के बाद ग्रामसभा का गठन तथा बीघा-कट्टा निकालने आदि के लिए नहीं हो सका।

जून में जिला सर्वोदय मण्डल की ओर से एक टोली प्रखण्डदान में सहयोग देनेवाले मित्रों से सम्पर्क के सिलसिले में कई गाँवों में गयी। प्रायः सभी मित्रों ने यही बताया कि अभी तक हमलोग अपने-अपने गाँव में ग्रामसभा का गठन तथा बीघा-कट्टा निकालने आदि की दिशा में कुछ नहीं कर सके हैं, ऊपर से तकाजा रहता तो यह स्थिति नहीं रहती। इस प्रखण्ड के सभी मित्र चाहते हैं कि प्रखण्ड स्तर की गोष्ठी बुलायी जाय और चर्चा करके कार्य शुरू हो।

इस क्रम में १६ जून की शाम को श्रीगणेश बाबू के साथ नवटोलिया गाँव पहुँचा। नवटोलिया में ग्रामसभा बनी है, यह सूचना हमें पहले मिल गयी थी। हमलोगों के पहुँचने की पूर्व-जानकारी ग्रामवासियों को नहीं थी। ग्रामसभा के मंत्री बाहर थे। श्री रामदेव साह ग्रामसभा के अध्यक्ष हैं। अध्यक्ष ही मुख्य रूप से ग्रामसभा का संचालन करता है। तुरन्त ग्रामसभा की बैठक बुलायी गयी। खेती-बाड़ी का समय होने के बावजूद ग्रामवासी जुटकर बैठक में आये। बैठक में नवटोलिया गाँव के सम्बन्ध में निम्नलिखित जानकारी मिली।

गाँव की कुल परिवार-संख्या ८५ और जनसंख्या ५६० है। गाँव में गाँववालों की कुल जमीन का रकबा १७५ बीघा है। ६० परिवार भूमिवान हैं, शेष २५ परिवारों को जमीन नहीं है। एक परिवार के पास अधिकतम भूमि ३० बीघा है। ८५ परिवारों में से एक परिवार, जिसके पास सबसे ज्यादा भूमि है, ग्रामदान से अलग है। पूरे गाँव में नौ जाति के लोग रहते हैं, लेकिन तेली, कुम्हार तथा कोइरी की संख्या अधिक है। ये तीनों जातियाँ प्रायः समान संख्या में हैं।

गाँव में एक प्राथमिक पाठशाला है। गाँव के अधिकांश पुरुष साक्षर हैं। एक व्यक्ति बी० ए०, दो आई० एससी० तथा पाँच युवक मैट्रीक पास हैं।

सन् १९६७ के प्रारम्भ में ग्रामसभा का गठन किया गया। अध्यक्ष, मंत्रीसहित कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या ११ है। कोषाध्यक्ष अलग से नहीं है। ग्रामसभा का कोष अध्यक्ष के पास रहता है। सन् १९६७ में ६ तथा सन् १९६९ के मई माह तक ग्रामसभा की दो बैठकें हुई हैं। बैठक की कार्यवाही का विवरण कार्यवाही-पुस्तिका पर विधिवत् लिखा जाता है। आमद-खर्च का ब्योरा भी जमा-खर्च-बही पर लिखा जाता है। ग्रामसभा के कोष में मन-सेरी, दान तथा सामूहिक दूकान की आमदनी में से डेढ़ वर्ष में ७०६ रु० ५८ पैसे एकत्र हुए हैं। ग्राम-विकास के काम में कुल ४३४ रु० ३८ पैसे खर्च हुए हैं। अभी ग्रामकोष में २७२ रु० २० पैसे जमा है। ग्रामसभा का काम गाँव की दूकान से प्रारम्भ हुआ, उस समय ग्रामसभा में ग्राम-कोष से कुछ जमा नहीं हुआ था। अध्यक्ष श्री रामदेव साह ने दूकान चलाने के लिए अपनी ओर से ५०० रु० की पूँजी का प्रबन्ध कर दिया। श्री रामदेव साह स्वयं साधारण स्थिति के किसान हैं। उनकी अपनी मात्र ८ बीघा जमीन है। उनकी स्थिति ही यह स्पष्ट करती है कि ग्रामसेवा के लिए उनकी उत्कंठा कहाँ तक आगे बढ़ी हुई है। उन्होंने अपनी ओर से पूँजी का प्रबन्ध ही नहीं किया, बल्कि नियमित समय भी दूकान के संचालन में देते रहे हैं। गाँव की दूकान से एक ही वर्ष में ३०० रु० की आमदनी हुई।

ग्रामसभा ने अपनी आवश्यकता तथा स्थिति को देखते हुए शिक्षा के काम को प्रथम स्थान दिया है। गाँव के विद्यालय का निजी मकान नहीं रहने के कारण छात्रों को बहुत कठिनाई होती थी। ग्रामकोष से २५ हजार ईंट तैयार की गयीं तथा भवन-निर्माण का काम आधा से अधिक पूरा किया जा चुका है। जहाँ विद्यालय बना है, वह स्थान बहुत नीचे था। श्रमदान से मिट्टी भरकर उसे काफी ऊँचा किया गया। अध्यक्ष श्री रामदेव साह की तैयारी है कि ग्रामसभा ही सभी छात्रों के परीक्षा-शुल्क तथा पुस्तक आदि की व्यवस्था करेगी।

जब से ग्रामसभा बनी है, गाँव का कोई झगड़ा कचहरी नहीं गया है। झगड़े की रोक-थाम शान्ति-सेना करती है। कभी-कभी

ग्रे में-सफाई आदि का कार्य भी सामूहिक रूप से किया जाता है। जिस कार्यक्रम पर सबकी सहमति होती है, उसे ही कार्यान्वित किया जाता है।

www.vinoba.in

गाँववालों के पास जमीन बहुत कम है। सब लोगों के लिए खेती में पूरा काम नहीं रहता है। गाँव में तेली हैं, लेकिन कोल्हू नहीं चलता है। कारण पूछने पर मालूम हुआ कि मिल का तेल कोल्हू से सस्ता पड़ता है, इसलिए कोल्हू का तेल जमा होने पर पूँजी की समस्या हो जाती है। पूँजी का प्रबन्ध हो तथा तेल की निकासी की योजना की जाय तो २५ परिवारों में कोल्हू चलेंगे, इसी तरह कुम्भकारी उद्योग के लिए पूँजी की जरूरत है। जब मैंने वस्त्र-स्वावलम्बन तथा रोजगारी के लिए अंबर चरखे का सुझाव दिया तो ग्रामसभा के सदस्यों को अच्छा लगा। उन लोगों ने यह सुझाव दिया कि ग्रामसभा की जमानत पर संस्था अम्बर चरखे का प्रबन्ध करके सिखानेवाले अध्यापक की व्यवस्था करे तो अम्बर का काम तुरन्त चालू किया जा सकता है। श्री नागेश्वर साह (छात्र—कोशी कालेज, खगड़िया) ने कहा कि संस्था से शिक्षक माँगने के बजाय गाँव का एक युवक ही शिक्षक का प्रशिक्षण ले, यह उपयुक्त होगा।

नवटोलिया गाँव के संगठन, विकास तथा चिन्तन को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि जबतक श्री रामदेव साह जैसे गाँव के जीने तथा मरने की भावनावाले लोकसेवक प्रखण्ड-पीछे पाँच-सात भी तैयार नहीं होंगे तबतक बिहारदान के बावजूद ग्रामस्वराज्य की कल्पना का साकार होना कठिन है। इस तरह ग्राम-स्तर पर काम करनेवाले लोकसेवकों की फौज तुरन्त कैसे तैयार हो, तथा उनके शिक्षण की क्या व्यवस्था हो, यह विचारणीय है। इस तरह के फौज के अधिकांश सिपाही किसान-मजदूर सामान्य वर्ग से निकलेंगे। हमारा आन्दोलन इस तबके के बीच पहुँचा तो जरूर है, लेकिन जड़ नहीं पकड़ सका है।

—रामनारायण सिंह

भूमिहीनों में भूमिवितरण

मार्च १९६८ तक केन्द्र-प्रयोजित योजना के अन्तर्गत लगभग ४ लाख ५८ हजार ४६८ (६७० एकड़ का एक हेक्टर) बेकार भूमि को खेती-योग्य बनाया गया और उस भूमि पर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों के १ लाख ८० हजार परिवारों को बसाया गया है। —'सम्पदा', जून '६९

भूदान-आन्दोलन के द्वारा ११ लाख ७५ हजार, ८३८ एकड़ भूमि ४ लाख ६१ हजार ६८१ परिवारों में ३१ मार्च '६९ तक वितरित की गयी।

जय ग्राम : जय जगत्

विश्व आप ही से पहचानो। विश्व-अंश अपने को जानो॥
बने व्यक्ति से कुटुम-कबीला। उसके आगे समाज फैला॥
समाज से फिर गाँव लसा है। गाँवों से ही देश बसा है॥
विश्व बना यह देश-देश मिल। ब्रह्मकटाह-थाह ले तिल-तिल॥
मनुज मात्र का पहला नैहर। अपना गाँव उसीमें का घर॥
प्रगति उसीमें से कर सुन्दर। बढ़ना है दुनिया से आखिर॥
प्रथम नींव रहनी मानुष की। भलीभाँति हो रक्षा उसकी॥
होवे सब बिध गाँव सुहाना। दिव्य विश्व का अल्प नमूना॥
गाँव जगत का सुन्दर नक्शा। उसपे निर्भर देश-परीक्षा॥
बिगड़े गाँव देश बेहाल। गाँव बिना वह कहाँ निराना?॥

अनुवादक—सुदाम सावरकर
(मूल मराठी 'ग्रामगीता' से) —संत तुकडोजी

स्वास्थ्योपयोगी प्राकृतिक चिकित्सा की पुस्तकें

		लेखक	
कुदरती उपचार		महात्मा गांधी	०-८०
आरोग्य की कुंजी		,, ,,	०-४४
रामनाम		,, ,,	०-५०
स्वस्थ रहना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है	द्वितीय संस्करण	धर्मचन्द सरावगी	२-००
सरल योगासन	,, ,,	,, ,,	२-५०
यह कलकत्ता है	,, ,,	,, ,,	२-००
तन्दुरुस्त रहने के उपाय	प्रथम संस्करण	,, ,,	२-२५
स्वस्थ रहना सीखें	,, ,,	,, ,,	२-००
घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा	,, ,,	,, ,,	०-७५
पचास साल बाद	,, ,,	,, ,,	२-००
उपवास से जीवन-रक्षा	अनुवादक	,, ,,	३-००
रोग से रोग-निवारण		स्वामी शिवानन्द	२०-००
How to live 365 day a year		John	22-05
Everybody guide to Nature cure		Benjamin	24-30
Fasting can save your life		Shelton	7-00
उपवास		धारण प्रसाद	१-२५
प्राकृतिक चिकित्सा-विधि		,, ,,	२-५०
पाचनतंत्र के रोगों की चिकित्सा		,, ,,	२-००
आहार और पोषण		झवेरभाई पटेल	१-५०
वनौषधि-शतक		रामनाथ वैद्य	२-५०

इन पुस्तकों के अतिरिक्त देशी-विदेशी लेखकों की भी अनेक पुस्तकें उपलब्ध हैं। विशेष जानकारी के लिए सूचीपत्र मँगाइए।

एक्मे, ८।१, एसप्लानेड ईस्ट, कलकत्ता—१

कूड़े-कचरे से खाद बनायें—४

खाइयों में कम्पोस्ट बनाना

सूखे मौसम में उचित लम्बाई-चौड़ाई की खाइयों में कचरे को तह देकर रखनी चाहिए। खाइयों की गहराई ३॥ फीट से अधिक नहीं होनी चाहिए। खाइयों की तमाम लम्बाई में इस कूड़े-करकट की ६ इंच मोटी तह लगा देनी चाहिए। इसके ऊपर लगभग २ इंच की एक बारीक तह गोबर इत्यादि की खाद की (जिसमें कचरा, पेशाब सब शामिल हो) लगा दी जाय। इसके ऊपर लगभग १ इंच मोटी मिट्टी की (जो पानी से भीगी हो) तह लगा दी जाय। सम्भव हो तो इस मिट्टी में (जिसकी तल लगनेवाली है) थोड़ी-सी खली की खाद अथवा हड्डी का चूरा तथा नत्रजन या फासफोरिक एसिडवाली कृत्रिम खाद भी, कचरे के वजन से आधा प्रतिशत मिला ली जाय, जिससे कि कचड़ा जल्दी सड़ जायेगा, तो अधिक अच्छा होगा। इसी प्रकार एक के बाद एक तह इस ढेर पर देते रहें, जबतक कि ढेर जमीन की सतह से लगभग २ फुट ऊंचा न हो जाय। इस समय ढेर की चोटी को १ इंच मोटी मिट्टी की तह से ढंक देना चाहिए। इस ढेर को उलटा-पलटा न गया तो, लगभग छह महीने में खाद तैयार हो जायेगी। इससे पहले ही खाद की जरूरत पड़ जाय, तो सारी खाद को ३ माह तक सड़ने के बाद, गढ़े में से निकालकर जमीन के ऊपर गोलाकार में जमाकर ऊपर से मिट्टी से ढंक देना चाहिए। एक या दो माह बाद खाद तैयार हो जायेगी।

जमीन के ऊपर कम्पोस्ट बनाना

वर्षा के दिनों में कम्पोस्ट जमीन के ऊपर ही बनाया जा सकता है। १० फीट लम्बाई और १० फीट चौड़ाई की जगह चुनकर, जो यदि संभव हो तो पत्थर के टुकड़े जड़कर नीचे से पक्की कर दी गयी हो, वहां उपर्युक्त विधि के अनुसार कचड़े और गोबर इत्यादि की एक के बाद एक तह लगानी चाहिए, जिससे ४ फीट ऊंचा गोलाकार ढेर बन जाय। तह लगाने का सारा काम वैसे ही किया जाय, जैसे ऊपर बताया गया है। इस ढेर की चोटी को अन्त में १ या २ इंच मोटी मिट्टी की तह से ढंक देना चाहिए। यदि कचरा सख्त और मोटा है तो २ माह के बाद एक बार पलट देना चाहिए, जिससे सड़ने का कार्य जल्दी हो सके।

शहर के कचरे से कम्पोस्ट बनाना

खेत और जानवरों के कूड़े-कचरे से खाद बनाने के अलावा शहर के कचरे से—जैसे, मैला, नाली का गन्दा पानी, कसाई-खाने की बेकार चीजें, वगैरा से भी अच्छी किस्म की खाद बनायी जा सकती है। ठीक पैमाने की खाइयों में ६ इंच कचरे की एक तह देकर उस पर २ इंच मैले की, कसाई-खानों की बेकार चीजों की, मैले पानी की, कसाई-खानों की बेकार चीजों की, मैले पानी की, मिट्टी की या और किसी नत्रजनवाली चीज की तह बारी-बारी से भरकर खाद बनायी जाती है। खाई भरने पर ऊपर कचरे की एक मोटी तह डालकर उसको दो-तीन इंच मिट्टी की तह से ढंक दिया जाता है। इससे दुर्गन्ध अच्छी तरह दब जाती है और मक्खियां भी पैदा नहीं होती हैं। इससे बहुत गर्मी पैदा होती है और तापमान १५० (फैरनहीट) तक चला जाता है, जिससे सब हानिकारक पदार्थ व जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। ४ से ६ महीने तक सड़ने के बाद खाद खेत में डालने लायक हो जाती है। खाद को खेत में डालने से पहले धातु की छननी से छान लिया जाता है, जिससे कांच शीशा, पत्थर और ईंटों के टुकड़े आदि अवांछित चीजें अलग हो जाती हैं। इस कम्पोस्ट में एक प्रतिशत नत्रजन व एक प्रतिशत फास्फोरिक एसिड होता है और यह किसी भी फसल में, बिना हिचकिचाहट के, डाला जा सकता है। यह कम्पोस्ट गन्ना, सागभाजी, आलू, चावल वगैरह फसल के लिए १० टन प्रति एकड़ के हिसाब से दूसरी फसलों के लिए, जहां ठीक-ठीक वर्षा होती है वहां ५ टन प्रति एकड़ तथा जहां वर्षा बहुत कम होती है वहां, बरानी फसल में एक-दो टन प्रति एकड़ दिया जाता है। इस खाद को प्रत्येक वर्ष न डालकर दो-तीन वर्षों में एक बार डालना चाहिए।

गांवों में लोग कहीं भी पाखाना करके चारों तरफ के वातावरण को गन्दा कर देते हैं, जिससे गन्दगी और बदबू फैलती है तथा गांववालों का स्वास्थ्य खतरे में रहता है। इस मैले को आसानी से अच्छी किस्म की खाद में तबदील किया जा सकता है, जिसमें तनिक भी दुर्गन्ध नहीं आती है। गांव की हद पर खाई की टट्टियां बनायी जायें, जिनमें पांच-छः कमरे हों। इसमें एकान्त भी काफी रहता है। जब एक खाई भर जाय तो दूसरी खोद ली जाती है और पहलीवाली को चार-छः माह तक सड़ने दिया जाता है। इस अरसे में वह गलकर, नुकसान न देनेवाली खुशबूदार खाद बनकर तैयार हो जाती है। ऐसी खाइयों की टट्टियां गांव के चारों तरफ बनी होनी चाहिए, जिससे गांववालों को जाने में सहूलियत रहे।

—बनवारीलाल चौधरी

अपना घर

रागिनी की आँख-मिचौनी

नीलिमा का छोटा भाई कमलेश हाईस्कूल में पढ़ता है। स्कूल के पते पर ही उसे पारबती का लिखा हुआ पत्र मिला। पारबती ने लिखा था—"प्रिय कमलेश, तुम बहुत दिनों से अपनी दीदी को खोज-खबर नहीं ले रहे हो। तुम्हें नीलिमा अनेक बार याद करती रही है। आ नहीं सकते थे तो कम-से-कम पोस्टकार्ड पर तो चार अक्षर लिखकर भेज ही सकते थे। ईश्वर की कृपा से पिछले सोमवार को एक नन्हीं मुन्नी से तेरी दीदी की गोद भर गयी है। हम सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। पत्र पाते ही तुम अपनी दीदी और उसकी नन्हीं मुन्नी से आकर मिल लो। इस बार तुम कम-से कम ४ दिन तक यहाँ रुकने की तैयारी रखकर आना। आने के दूसरे दिन जाने की तैयारी मत करना। रागिनी यह सुनकर बहुत खुश है कि तुम्हें यहाँ आने का बुलावा मैं भेज रही हूँ। अगले शुक्रवार को दोपहर तक तुम जरूर यहाँ आ जाओ। नन्हीं मुन्नी के लिए एक अच्छा-सा नाम चुनने की जिम्मेदारी नीलिमा ने तुम्हारे ऊपर सौंपी है।"

कमलेश ने पारबती का पत्र पहले सरसरी नजर से पढ़ा, फिर दुबारा जरा रुक-रुककर और तीसरी बार पत्र के बीच की कुछ पंक्तियों को नजरें गड़ाकर—"रागिनी यह सुनकर बहुत खुश है कि मैं तुम्हें यहाँ आने का बुलावा भेज रही हूँ।" कमलेश सोचने लगा, क्या अम्माजी मेरी और रागिनी की आँख-मिचौनीवाली बात जान गयी हैं? कमलेश पिछले साल की उस घटना को शायद कभी भूल नहीं सकेगा। नीलिमा जब विवाह के बाद अपनी ससुराल के लिए विदा हो रही थी तो उसने बड़े आग्रह के साथ कमलेश को अपने साथ ले जाने की जिद की थी। कमलेश को गाने का शौक है, इसलिए नीलिमा ने सोचा कि छोटे भाई के साथ चलने से उसका जी बहलेगा और ससुराल में उसके भाई के प्रशंसक भी बनेंगे। कमलेश ने बहन के गाँव पर पहुँचने के दूसरे दिन ही लौटने की तैयारी शुरू की। बहन ने मनावन करके उसे एक-दो दिन और रोकने की कोशिश की। गाँव के अनेक लोग कमलेश से ऐसा मजाक करते थे, जो मनचले पुरुष स्त्रियों से करते हैं। कुछ लोग उसे भद्दी गालियाँ देकर हँस देते। कमलेश को यह सब बहुत वाहियात लगा था। वह इस अनचाहे वातावरण से यथाशीघ्र अपना छुटकारा चाहता था। पारबती को जब यह पता चला कि कमलेश इतनी जल्दी वापस जाना चाहता है तो पूछ बैठीं—"कमलेश, तुम्हें किस बात की चिन्ता है कि यहाँ आते ही लौट जाने की जल्दी में पड़ गये? कम-से-कम चार-छः दिन टिक जाते तो गाँव के सब लोगों से तुम्हारी अच्छी तरह जान-पहचान हो जाती।"

कमलेश ने कहा था—"अम्माजी, मेरा यहाँ जी नहीं लग रहा है।"

"जी क्यों नहीं लगता, यही तो मैं पूछ रही हूँ?"

"मुझे नहीं मालूम।"

"बिना कारण बताये मैं तुझे नहीं जाने दूँगी। गाँव में हमारी हँसाई होगी कि तू इतनी जल्दी क्यों चला गया।"

"अम्माजी, आप तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन कुछ लोग मुझे तंग करते हैं, बड़ी भद्दी-भद्दी गालियाँ देते हैं।"

"अब समझी। तुम कुछ लोगों के मजाक से घबड़ा उठे हो। अभी यहाँ नये आये हो, इसलिए लोग तुम्हें ज्यादा परेशान करते होंगे। मरदों में यहाँ ऐसा कोई है भी नहीं, जो इस कुरीति के बारे में दूसरों को समझाये। लेकिन इससे तुम कहाँ-कहाँ भागोगे? यह रिवाज तो हर जगह है। तुम्हारे गाँव के लोग भी बहू के भाई के प्रति ऐसा ही व्यवहार करते होंगे। तुम्हें अभी यह जो बात खटक रही है यह तो अच्छी ही बात है। यह जिन्दगी भर खटकती रहे तो बड़ी अच्छी बात होगी।"

कमलेश को माँजी की बातें बहुत भली लगी थीं। माँजी के जाने के बाद वह ओसारे की चारपाई पर सिर झुकाये इस उधेड़बुन में खोया हुआ था कि वहाँ रुके या न रुके। न जाने कब, किसीने पीछे से आकर उसकी दोनों आँखों को अपनी हथेलियों से मूँद लिया। कमलेश के शरीर पर जैसे एक अभूतपूर्व स्पर्श की लहर दौड़ गयी। दीदी तो ऐसा कर नहीं सकतीं। न जाने कितने वर्षों से दीदी की आँख-मिचौनी की हरकत बन्द है! किसीने चुपके से आकर अपनी हथेलियों का जो करतब दिखाया या, उससे कमलेश किंकर्तव्यविमूढ़-सा हो गया। उसने अपने हाथों से जैसे ही आँखों को मूँदनेवाली हथेलियों को छुआ था कि आँख मूँदनेवाली अपरिचिता हवा के झोंके की तरह सामने के बड़े दरवाजे में घुस गयी थी। कुछ देर बाद जब वह कुछ संभलकर दीदी के पास गया तो उसे यह समझते देर न लगी थी कि उससे आँख-मिचौनी किसने की थी। रागिनी नीलिमा से ऐसे बातें कर रही थी जैसे कमलेश को उसने देखा ही नहीं। पारबती के पत्र में रागिनी का जिक्र पढ़कर कमलेश उधेड़बुन में पड़ गया—"क्या अम्माजी को उस दिन की आँख-मिचौनी और उसके बाद की बात मालूम हो गयी है?"

—त्रिशंकु

'गाँव की बात' : वार्षिक चन्दा : चार रुपये, एक प्रति : अठारह पैसे
सम्पादक : राममूर्ति : सर्व सेवा संघ-प्रकाशन, राजघाट, वाराणसी-१